


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विषय भूगोल के स्थाईकरण एवं नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये थे, में संबधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आंधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	राजकुमार शर्मा – राउमावि. मित्रपुरा, स.माधोपुर	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ भूगोल/पीएससी-15/स्थाईकरण/ 2019-20/545 दिनांक 17.12.2020	स्थाईकरण आदेश दिनांक 17.12.2020 में क्रम संख्या 2 पर कॉलम संख्या 7 में अंकित कार्यग्रहण तिथि 30.06.2017 के स्थान पर 30.06.2017 (मध्याह्न पश्चात) व कॉलम संख्या 8 में 30.06.2019 के स्थान पर 01.07.2019 पढ़ा जावें।
2	जुगलसिंह गुर्जर – राउमावि. समराया, भरतपुर	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ भूगोल/पीएससी-15/स्थाईकरण/ 2019-20/601 दिनांक 21.12.2020	नियमितीकरण आदेश दिनांक 21.12.20 में क्रम संख्या 2 पर कॉलम संख्या 6 में अंकित कार्यग्रहण तिथि 12.08.2017 के स्थान पर 03.07.2017 व कॉलम संख्या 7 में 12.08.2019 के स्थान पर 03.07.2019 पढ़ा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/भूगोल/पीएससी-15/स्थाईकरण/2019-20

दिनांक 05/08/2021

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबधित प्रधानाचार्य/संबधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर